

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 188 / 2024
GCMS No. - 2024 / 677

1. उंकारलाल पिता नारु जी गुर्जर निवासी रावलिया तहसील निम्बाहेडा।
2. श्री सोहनीबाई पत्नी नारु जी गुर्जर निवासी रावलिया तहसील निम्बाहेडा।

— वादीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।
2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाडा राज।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय, श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा।


— प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत:- 1- श्री अनिल पाटीदार - अधिवक्ता वादिगण
2- प्रतिवादीगण - स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :- 21.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात ग्राम रावलिया प०ह० रावलिया तह० निम्बाहेडा में मूल साबिक आ०नं० 258 रकबा 12 बिस्वा था, जिसके दो नम्बर बने जिसमें आ०नं० 258 रकबा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नं० 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर व आ०नं० 258/1 रकबा 210 वर्ग गज जिसके नये आ०नं० 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर बने, जबकि भू प्रबन्ध हुआ तो नवीन नक्शे में आ०नं० 492 रकबा 0.03 हेक्टेयर एवं आ०नं० 493 रकबा 0.13 हेक्टेयर का दर्शाया गया, जबकि जमाबंदी में उक्त आराजी नं० 492 का रकबा 0.13 हेक्टेयर एवं आ०नं० 493 का रकबा 0.03 हेक्टेयर अंकित किया गया है. इस प्रकार हाल आ०नं० 492 एवं 493 की एक दूसरे के स्थान पर विपरित तरमीम हो गया है, जिससे नक्शा में तरमीम रकबा का मिलान नहीं होकर विपरित तरमीम हो गया है।
2. गत नक्शा में आ०नं० 258/1 रकबा 2 बिस्वा सड़क की ओर तथा आ०नं० 258 के उत्तरी पूर्वी कौना में तरमीम गे.मु. मकान मौका पर स्थित थी, आ०नं० 258 का शेष भाग रकबा यथावत तरमीम रहा। हाल भू प्रबन्ध द्वारा नक्शा में नम्बर तरमीम गलत करके साबिक आ०नं० 258/1 रकबा 2 बिस्वा के भाग नक्शा रकबा 0.03 हेक्टेयर है, पर आ०नं० 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर का अंकन कर दिया और आ०नं० 258 रकबा 10 बिस्वा के भाग नक्शा में आ०नं० 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर का अंकन कर दिया है। जो कि वर्तमान नक्शा में विपरित स्थान पर तरमीम हो गया है जिसके सही इन्द्राज की घोषणा की जाकर इसी अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्त करने की सर्वे गत भू प्रबन्ध रेकार्ड व गत नक्शा से होकर आ०नं० 258/1 रकबा 2 बिस्वा सम्पूर्ण व आ०नं० 258 रकबा 2 बिस्वा में से रकबा 02 बिस्वा पूर्वी भाग (पुरानी सड़क से लगा भाग) अवाप्ताधिन  इसी अनुसार अधिसूचना जारी होकर एन एच 79 का सर्वे नक्शा बना था, परन्तु भूमि अवाप्ती की कार्यवाही नवीन भू प्रबन्ध से होने से नक्शानुसार आ०नं० 492 रकबा 13 हेक्टेयर का



सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

नक्शा आ०नं० 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर होकर सम्पूर्ण एन एच में अवाप्त होना स्पष्ट है जो कि साबिक नक्शा व नवीन नक्शा से मिलान नहीं करता है। यहकि नक्शा अनुसार आ०नं० 493 रकबा 0.13 हेक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा एन एच में अवाप्त होना व अधिसूचना अनुसार आ०नं० 493 का सम्पूर्ण एन एच में अवाप्त होने की रिपोर्ट पेश होने से वादीगण खातेदारान की 0.10 हेक्टेयर भूमि एन एच के नाम पर गलत रूप से अधिक दर्ज कर दी गई है, जो पुनः हम वादीगण खातेदारान के नाम पर उक्त जमीन दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिये उक्त रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा हम वादीगण के नाम पर किया जाना आवश्यक है।

4. नक्शा अनुसार आराजी नंबर 493 रकबा 0.13 हेक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा एन एच में अवाप्त होना व अधिसूचना अनुसार आराजी नंबर 493 का सम्पूर्ण एन एच में अवाप्त होने की रिपोर्ट पेश होने से वादीगण खातेदारान की 0.10 हेक्टेयर भूमि एन एच के नाम पर गलत रूप से अधिक दर्ज कर दी गयी है, जो पुनः हम वादीगण खातेदारान के नाम पर उक्त जमीन दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिये उक्त रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि की घोषणा हम वादीगण के नाम पर किया जाना आवश्यक है।

5. हाल नक्शा अनुसार मौके पर आ०नं० 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर (नक्शा में 0.03 हेक्टेयर) सम्पूर्ण एन एच की मध्य से 30 मीटर की सीमा में होकर सडक बनी हुई है व आ०नं० 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर (नक्शा में 0.13 हेक्टेयर) में से रकबा 0.03 हेक्टेयर पूर्वीभाग मे सडक एन एच बनी होकर एन एच के उपयोग में हो रही है। आ०नं० 493 का रकबा जमाबंदी अनुसार सम्पूर्ण 0.03 हेक्टेयर एन एच के नाम होकर एन एच के उपयोग में हो रहा है एवं नक्शा अनुसार रकबा 0.13 हेक्टेयर होने से पश्चिम का रकबा 0.10 हेक्टेयर में पूर्व का खातेदार वादीगण उंकारलाल व सोहनीबाई का पक्का मकान बना होकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। इसलिये उक्त रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि हम वादीगण पुनः हमारी खातेदारी में घोषित करा कर दर्ज कराना चाहते हैं।

6. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी नंबर 1 की और से जवाब प्रस्तुत किया व निवेदन किया की

1. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 केवल से निम्बाहेडा किमी 197+350 से किमी 221+400 तक के निर्माण चौडा करने/पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) की उपधारा तहत के अनुसार वांछित भूमि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति [SDO] निम्बाहेडा द्वारा अनुशासित भूमि को केन्द्रीय सरकार के राजपत्र में दिनांक 12.04.2013 को अधिसूचित किया गया। क्षेत्रीय सामान्यजन की सूचना एवं सुविधा के लिए उक्त अधिसूचना (राजपत्र) सक्षम प्राधिकारी (500) ने राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया है। प्रकरणाधीन भूमि आराजी [Survey No] संख्या 493 निजी गैर मुमकिन मकान रकबा 0:03 हेक्टर एवं 482 निजी चाही रकबा 0.13 हेक्टर अवाप्ति हेतु अधिसूचित हुई है।

2. NH Act, 1956 की धारा-3 (C) के तहद उक्त गजट नोटिफिकेशन से प्रभावित काश्तकारों/हितधारियों से 21 दिन के भीतर प्राप्त आक्षेप/परिवाद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण अपेक्षित है। प्रकरणाधीन काश्तकार द्वारा इस दौरान सक्षम प्राधिकारी [SDO] को परिवाद पेश नहीं करना, अब प्रार्थना-पत्र धारा-136 रा.ले.रे. एक्ट पेश करने से जाहिर है।

3. NH Act, 1956 की धारा-3 (C) की उपधारा-3 में आलोकित किया गया है कि Any order made by the compenent authority under Sub Section [2] shall be final प्रकरणाधीन भूमि पर उपधारा-3 लागू होती है। (संलग्न-1)

4. प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी [SDO] द्वारा NH Act 1956 की धारा-3(C) की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त, रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार के NH Act 1956 की धारा-3 (D) की उपधारा (1) में प्रस्तावित अवाप्ताधीन भूमि का केन्द्रीय सरकार के राजपत्र में दिनांक 19.08.2013 को अधिसूचना जारी की गई, जिसका प्रकाशन स्थानीय दो दैनिक समाचारों में किया गया। इस अधिसूचना में भी मौजा रावलिया का प्रकरणाधीन खसरा संख्या 493 निजी गैर मुमकिन मकान रकबा 0.03 हेक्टर श्री ऊंकार पिता नारु गुर्जर सा.देह खातेदार एवं आराजी नं. 492 (खसरा) चाही रकबा 0.13 हेक्टर श्री ऊंकार 2/3, गीता 1/6 पिता नारु, मुसोहनी बाई बेवा नारु 1/6 गुर्जर सा.देह खातेदार अधिसूचित हुई है। (NH Act 1956 की धारा-3(D) उद्घोषणा संलग्न-2) Act की धारा-3(D) की उपधारा-2 में स्पष्ट उल्लेख है कि On the publication of the declaration under Sub section [1] the land shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances श्रीमान की विचारणा में प्रस्तुत इस प्रकरण में भी की धारा-3(D) की उपधारा (1) आकृष्ट होती है। Act की धारा-3(D) की उपधारा-4 में स्पष्ट किया गया है कि declaration made by the central government under Sub section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority (संलग्न-3)

उक्त उद्धरणों के प्रकाश में प्रकरणाधीन भूमि अन्तिमतः विभाग के स्वामित्व एवं कब्जे में होकर भू-अभिलेख में दर्ज होना जाहिर है। NH Act 1956 की धारा-3(क) की उक्त दोनों धाराएं 1 एवं 4 अवलोकनीय, पठनीय एवं पालनीय है।

NH Act 1956 की धारा-3(G) में धारा-3(D) के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा आंकलित एवं निर्धारण कर उपधारा (1) या उपधारा (2) में सक्षम प्राधिकारी (SDO) द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों में मुआवजा निर्धारण की 'आम सूचना प्रकाशित करवाना अपेक्षित है। आम सूचना के जरिए हितबद्ध/प्रभावित/काशतकारों से मुआवजा निर्धारण संबंधी परिवाद/प्रार्थना-पत्र आक्षेप आहूत किये जाते हैं। प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में प्रभावित काशतकार द्वारा इस Stage पर भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना प्रगट है। अधिसूचित भूमि का मुआवजा NH Act की धारा-136 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी [SDO] भूमि अवाप्ति द्वारा हितधारी को नियमानुसार चुकाया जा चुका है।



विशेष उल्लेख है कि NH Act 1956 की विविध धारा-उपधाराओं में भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया विहित है। इसमें अवाप्त भूमि के De-notification का कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण में, वादी के दोनों आराजीयात (खसरा) की भूमि तत्कालीन उपलब्ध भू-अभिलेख एवं सक्षम प्राधिकारी (SDO) की संवीक्षा के उपरान्त, अवाप्त हो चुकी है तथा अवाप्त भूमि का मुआवजा भी नियमानुसार प्रदान किया जा चुका है। भूमि वर्तमान भू-अभिलेख में विभाग के स्वामित्व में होकर सडक दर्ज है जिससे विभाग की खातेदारी जाहिर है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

NH Act 1956 की धारा-3(A) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के निर्माण हेतु अवाप्ति की कार्यवाही दिनांक 12.04.2013 को केन्द्रीय सरकार के गजट नोटिफिकेशन एवं प्रकाशन के साथ प्रारम्भ हो चुकी थी। करीब 11 वर्ष के अन्तराल के बाद प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। वर्तमान में प्रकरणाधीन दोनों आराजीयात विभाग के स्वामित्व, कब्जे एवं खातेदारी में है। L.R.Act की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस प्रकरण में पोषणनीय नहीं है।

5. प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा उसकी खातेदारी की हाल आराजी नम्बर 492,493 कित्ता 2 रकबा 0.16 मौजा रावलिया मे से 0.10 हेक्टेयर भूमि सडक - परिवहन और राजमार्ग 79 के नाम अवैध रूप से दर्ज

हो गई है जिसे पुनः वादीगण पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज कराने हेतु यह वाद/ प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण आराजी नम्बर 492,493 की रेकार्ड व मौका की जाँच कर रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

यह कि पटवार हल्का भावलिया के मौजा रावलिया की हाल आराजी नम्बर 492,493 किता 2 रकबा 0.16 हैक्टेयर सम्पूर्ण सडक परिवहन और राजमार्ग 79 के नाम दर्ज है जिसके साबिक आराजी नम्बर 492/0.13 के 258/11 तथा 493/0.03 के 258/1 रकबा 2 बिस्वा (216 वर्ग गज) होना क्षेत्रफल से मिलान होता है।

राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 492 रकबा 0.13 हैक्टेयर की तरमीम 0.03 हैक्टेयर रकबा पर ही है आराजी नम्बर 493 रकबा 0.03 की तरमीम 0.13 हैक्टेयर रकबा पर है जो दुरुस्ती योग्य होकर नम्बर अन्दाजी विपरित नक्शा में होना स्पष्ट है। राजस्व नक्शा व एन एच 79 के अनुमोदित नक्शा में जबकि दोनो आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.16 हैक्टेयर एन एच 79 के नाम दर्ज हुआ जो दुरुस्ती योग्य है।

नक्शा में भु-प्रबन्ध द्वारा नम्बर अन्दाजी गलत (आराजी नम्बर 492 के नक्शा में 493 व 493 के नक्शा में 492 दर्ज होना) दर्ज होने से अवाप्ति मे मौका सर्वे रिपोर्ट अस्पष्ट होने से दोनो आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.16 हैक्टेयर एन एच 79 के नाम सहवन से अवाप्त होकर दर्ज हुआ है।

पत्रावली में संलग्न अवार्ड प्रकरण संख्या 33/2013 से आराजी नम्बर 493 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0 मकान(जो आराजी नम्बर 493 रकबा 0.03 पर तरमीम अंकन होना चाहिए था) अवाप्त होकर जिसकी मकान सहित अवार्ड राशि 181610 रु भुगतान हुई है जो नियमानुसार बराबर भुगतान हुआ है। अवार्ड संख्या 32/2013 से आराजी नम्बर 492 रकबा 0.13 कस्म चाही I (जो आराजी नम्बर 493 रकबा 0.13 पर तरमीम अंकन होना चाहिए था) सम्पूर्ण ही अवाप्त हुआ है(जो नक्शानुसार 0.03 ही अवाप्त होना चाहिए था) रकबा 0.13 हैक्टेयर सम्पूर्ण की अवार्ड राशि 454735 रु भुगतान हुई है इसी अनुसार रकबा 0.03 हैक्टेयर की अवार्ड राशि 104938 रु बनती है और (454735-104938) कुल 349796 रु का भुगतान रकबा 0.10 हैक्टेयर का अधिक अवार्ड अनुसार किया गया है।

मौका पर राजस्व नक्शा व एन एच 79 के स्वीकृत नक्शानुसार रकबा 0.06 हैक्टेयर ही एन एच 79 के उपयोग होकर सडक बनी हुई है। हाल आराजी नम्बर 493 (नक्शानुसार जो प्रस्तावित संशोधन पर 492 रकबा 0.13 हैक्टेयर है) का रकबा 0.10 हैक्टेयर पश्चिम दिशा का एन एच 79 की सीमा में नहीं होकर एन एच 79 के निर्माण के पूर्व से ही निरन्तर वादीगण के कब्जा में होकर पक्का मकान व बाडा बना हुआ है। वादी का परिवार इसी मकान में निवासरत है। उक्त तरमीम राजस्व नक्शा व एन0एच 79 सडक व मौका कब्जा अनुसार ग्राम रावलिया की आराजी नम्बर 492,493 का नक्शा व रकबा दुरुस्ती योग्य होकर रकबा 0.16 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर पुनः वादीगण के नाम दर्ज होना उचित होने पर संशोधन सारणी निम्नानुसार प्रस्तावित है

वर्तमान प्रविष्टि नक्शा					संशोधित प्रविष्टि नक्शा			
सडक परिवहन और राजमार्ग 79					सडक परिवहन और राजमार्ग 79			
आ0न0	रकबा	किस्म	लगान	आ0न	रकबा	किस्म	लगान	
492	0.13	सडक	-	492/1	0.03	सडक	-	
493	0.03	सडक	-	493	0.03	सडक	-	
योग	2	0.16		2	0.06			
					श्री उंकार पिता नारु गुर्जर 2/3, गीता पिता नारु 1/6 सोहनी बाई पत्नि नारु 1/6 गुर्जर सा0 देह खातेदार			
					492/2	0.10	चाही I	1.88
					1	0.10		
योग								



सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा

उंकार लाल बेवा बनाम शांतिलाल

प्रकरण संख्या - 188/2024 वाद

GCMS No. - 2024/677


5. दरस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2077-80 पेश किये। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दरस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दरस्तावेजों के आधारों पर संक्षिप्त सार यह है कि वर्णित वादग्रस्त आराजियात मोजा रावलिया तह० निम्बाहेडा की आ०नं० 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर (नक्शा में रकबा 0.03 हेक्टेयर ही तरमीम है) भूमि तथा आराजी नम्बर 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर (नक्शा में रकबा 0.13 हेक्टेयर पर तरमीम है) में से रकबा 0.03 हेक्टेयर पर ही रोड बना हुआ है। आराजी नम्बर 493 के शेष तरमीम रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि पर वादीगण का पक्का मकान बना होकर उपयोग वादीगण ही उसका उपभोग करते आ रहे हैं जो राजमार्ग में अवाप्त नहीं हुआ है, परन्तु गलती से सम्पूर्ण रकबा अवाप्ती में सहवन से दर्ज हो गया है। वादीगण उपरोक्त रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि की प्राप्त मुआवजा राशि रु 349796/- पुनः राजकोष में जमा कराने का तैयार है। अतः आराजी नम्बर 492 के तरमीम नक्शा पर आराजी नम्बर 493 रकबा 0.03 हेक्टेयर दर्ज करते हुए आराजी नम्बर 493 के तरमीम नक्शा पर आराजी नम्बर 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर दर्ज कराकर आराजी नम्बर 492 में से 0.03 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम एवं शेष रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करा कर वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराई जाकर जमाबंदी में इन्द्राज करा घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं।

घोषणा है कि

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंघा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा-88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वादग्रस्त आराजी मोजा रावलिया तह० निम्बाहेडा की आ०नं० 492 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान तरमीम शुदा आराजी नम्बर 493 के स्थान पर तरमीम दर्ज करते हुए आराजी नम्बर 492 के तरमीम स्थान पर आराजी नम्बर 493 तरमीम दर्ज करते हुए आराजी नम्बर 492 में से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 0.03 हेक्टेयर राष्ट्रीय राजमार्ग में एवं शेष रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि वादीगण श्री उंकारलाल पिता नारू 2/3, गीता पिता नारू 1/6, सोहनी बाई पत्नि नारू 1/6 जाति गुर्जर सा०दहे खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से खातेदार के नाम दर्ज होने वाले आराजी नम्बर 492 के रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि की भुगतान की गई मुआवजा राशि रु 349796/- पुनः भुगतान कर्ता भूमि अर्जन एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के खाते में जमा कराने के बाद ही भूमि खातेदार के नाम दर्ज किया जाना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दपतर हो।



निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया


(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा
राजस्थान